संख्या-3ए-2-वे0पु0(परि0भत्ता)-22/2009- 7040, दिनांक - 29.07.2011

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

विषय :-पटना (यू0 ए0) में पदस्थापित राज्य के सरकारी सेवकों को स्वीकृत शहरी परिवहन भत्ता (City Transport Allowance) को नये वेतन पुनरीक्षण के आलोक में अनुमान्यता के संबंध में ।

वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प सं0-12414 दिनांक-31.12.2009 के द्वारा पटना (यू0 ए0) में पदस्थापित राज्य के सरकारी सेवको को परिवहन भत्ता एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ता को एकीकृत कर निम्नांकित दर से शहरी परिवहन भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

वेतनमान (अपुनरीक्षित)	वर्त्तमान दर (परिवहन भत्ता+ नगर क्षतिपूरक भत्ता)	पुनरीक्षित दर (शहरी परिवहन भत्ता)
8000-13500 एवं अधिक	400 रू0 प्रतिमाह+180 रू0 प्रतिमाह	1000 रू0 प्रतिमाह
6500-10500 से 7500-12000	200 रू0 प्रतिमाह+100 रू0 प्रतिमाह	700 रू0 प्रतिमाह
5500-9000 एवं उससे कम	75 रू0 प्रतिमाह+65 रू0 प्रतिमाह	400 रू0 प्रतिमाह

2. वित्त विभाग के संकल्प सं0-630 दि0-21.01.2010 द्वारा राज्य कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण किया गया है जिसमें वेतन बैंड और ग्रेड-पे की व्यवस्था है । सरकार द्वारा स्वीकृत शहरी परिवहन भत्ता को नये वेतन पुनरीक्षण के संदर्भ में पुनः संसूचित करने का विषय विचाराधीन था ।

3. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा भी ग्रेड-पे आधारित शहरी परिवहन भत्ते को निम्नांकित प्रकार से प्रभावी करने का निर्णय लिया गया है :-

ग्रेड-पे	पुनरीक्षित दर (शहरी परिवहन भत्ता)
5400 एवं उससे अधिक	1000 रू0 प्रतिमाह
4200, 4600 एवं 4800	700 रू0 प्रतिमाह
4200 से कम	400 रू0 प्रतिमाह

4. शहरी परिवहन भत्ता की संशोधित दर दिनांक-01.01.2010 से प्रभावी मानी जायेगी ।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12414 दि0-31.12.2009 की कंडिका-2 को यथा संशोधित समझा जाय अन्य शर्त्तें एवं कंडिकाएं यथावत् प्रभावी रहेगी ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(मदन मोहन प्रसाद)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक – 3ए-2-वे0पु0(परि0 भत्ता)-22/2009 - 7040 पटना, दिनांक :- 29.07.2011

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/=

(मदन मोहन प्रसाद)

विशेष सचिव,वित्त विभाग

ज्ञापांक – 3ए-2-वे0पु0(परि0 भत्ता)-22/2009 - 7040 पटना, दिनांक :- 29.07.2011

प्रतिलिपि-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/राज्यपाल के सचिव/ सभी जिलापदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार एवं उप कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29/07/2011

(मदन मोहन प्रसाद)

विशेष सचिव,वित्त विभाग